

11 : पुलिस आदेश संख्या 203/88 यथा ज्ञापक 2214/एक्स।ए। दिनांक 18/3/88 द्वारा राज्य में प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षकों को जो अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व से सम्बन्धित शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई थीं, वे सारी शक्तियाँ, आरक्षी मुख्यालय एवं इससे आवद्ध कार्यालयों में पदस्थापित क्रमशः महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना/महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/महानिरीक्षक प्रोविजन्स, बिहार, पटना/महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, बिहार, पटना/महानिरीक्षक, स्नायु बल, बिहार, पटना/महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना को भी इस आदेश के तहत प्रत्योजित की जाती हैं।

12 : उपर्युक्त कण्डिका एक में विनिर्दिष्ट महानिरीक्षकों को पुलिस आदेश संख्या 203/88 में विनिर्दिष्ट शक्तियाँ उक्त पुलिस आदेश की निर्गत तिथि 18/3/88 से ही प्रभावित मानी जायगी। इस आलोक में दिनांक 18/3/88 से इस आदेश निर्गत की तिथि तक पूर्व में अगर उक्त पदाधिकारियों द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट शक्तियों का उपयोग किया गया हो तो इस आदेश के तहत उसे वैध करार दिया जाता है।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के आदेश से

Vijayanand 6/8/88
विजयानन्द पाण्डेय

आरक्षी महानिरीक्षक कार्मिक, बिहार, पटना।

ज्ञापक 6339 /एक्स/पी

2-3-2-83

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 6/8/1988

- प्रतिलिपि:-
1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना
 2. आयुक्त सह-सचिव, गृह आरक्षी विभाग, बिहार, पटना
 3. वित्त सचिव, बिहार सरकार, पटना
 4. मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, बिहार, पटना
 5. सभी महानिदेशक/सभी आरक्षी महानिरीक्षक
 6. सभी आरक्षी उपमहानिरीक्षक
 7. सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेशक
 8. प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग/पदमा
 9. आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, भागलपुर
 10. सभी आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक
 11. सभी प्रशाखा पदाधिकारी, मोनिओ कार्यालय, बिहार, पटना
 12. पुलिस गजट में प्रकाशनार्थ

को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Sukumar 6/8/88
सुकुमार भादुरी
आरक्षी उपमहानिरीक्षक कार्मिक, बिहार, पटना।